

ईशान किशन

तीसरे टी-20 में भी नहीं खेलेंगे

भाजन



रश्मिका मंदाना

मैं अपने पति के प्यार में दीवानी हूं

पटना, मंगलवार, २७ अक्तूबर, २०२६ सौर ९ कार्तिक सं. २०८३ वि० | वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, आगरा, बरेली, पटना(कोलकाता संस्करण), रांची (धनबाद संस्करण) तथा जमशेदपुर से प्रकाशित | ☆☆ | नगर संस्करण १२पृष्ठ मूल्य दो रुपये पचास पैसा

अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी 20 सूत्री समिति से आउट

25 नवंबर तक आवास खाली करने का जारी हुआ आदेश

पटना (निप्र)। जदयू ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पर एक और बड़ा ऐक्शन लिया है। मोकामा की पूर्व विधायक नीलम देवी को जदयू ने 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति से भी हटवा दिया है। इससे पहले जदयू ने उन्हें दलविरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निष्कासित किया था। बताया जा रहा है कि जेडीयू के अनुशंसा पर नीलम देवी को समिति से हटाया गया है। नीलम देवी को 20 सूत्री सदस्य कमेटी से हटाए जाने के बाद उनसे उप-मंत्री (डिप्टी मिनिस्टर) का दर्जा भी छिन गया है। बिहार की राजनीति में बाहुबली विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी के खिलाफ सरकार और जेडीयू का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी क्रम में बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने एक सख्त आधिकारिक पत्र (पत्रांक-10049, दिनांक- 26.10.2026) जारी कर पूर्व विधायक नीलम देवी को मिला सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना (सं.-578, दिनांक- 26.10.2026) के तहत नीलम देवी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के माननीय सदस्य के रूप में मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त



(शेष पृष्ठ ९ पर)

अनंत सिंह की सदस्यता रद्द कराने विस पहुंचे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष

पटना (आससे)। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की राज्य मंत्री का दर्जा छीनने के बाद जेडीयू ने मोकामा के विधायक और बाहुबली अनंत सिंह पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सोमवार को बिहार विधानसभा सचिव से मुलाकात कर उनकी सदस्यता को रद्द करने की अनुशंसा पर क्या कार्रवाई की गई इसकी जानकारी ली। उमेश कुशवाहा आज विधान सभा अध्यक्ष से मिलकर 24 अक्टूबर को की गई कार्रवाई के बारे में जानने पहुंचे थे. वह यह जानना चाहते थे कि पार्टी की ओर से दी गई



(शेष पृष्ठ ९ पर)

पांच साल में रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे : सम्राट

मुंडेश्वरी-गुप्ताधाम को धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने पर जोर, इको टूरिज्म से बढ़ेगा रोजगार

भभुआ /कैमूर (आससे)। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगले पांच वर्षों में बिहार में रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करना सरकार का लक्ष्य है, ताकि युवाओं को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े। संतों के आशीर्वाद, सनातन संस्कृति और जनसहभागिता से समृद्ध बिहार का संकल्प साकार होगा। मुख्यमंत्री सोमवार को कैमूर के परसिया गांव में श्री भाष्यकार श्रीरामानुजाचार्य सहस्राब्दी महामहोत्सव एवं अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे।



उन्होंने कहा कि बिहार की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत राज्य की बड़ी ताकत है और इसके संरक्षण के साथ पर्यटन विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने मां मुंडेश्वरी धाम और गुप्ताधाम को प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कैमूर में धार्मिक पर्यटन और इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इनके विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पटना से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने गयाजी के विष्णुपद मंदिर और सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर के विकास एवं जीर्णोद्धार का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने श्रीलक्ष्मीप्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में सांसद मनोज तिवारी सहित कई जनप्रतिनिधि, संत-महात्मा और श्रद्धालु उपस्थित रहे।

गयाजी से बैंकाक की पहली सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू

बोधगया (आससे)। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से गयाजी से बैंकाक के लिए इंडिगो एयरलाइंस की पहली नान-स्टाप अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा (6E 1083) का शुभारंभ किया। यह उड़ान सप्ताह में दो दिन संचालित होगी।



इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सेवा से बिहार और थाईलैंड के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक एवं

(शेष पृष्ठ ९ पर)

दुलारचंद हत्याकांड में अनंत की जमानत के खिलाफ सुनवाई 30 को

पटना (आससे)। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दुलारचंद यादव की हत्या के केस में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करने की अपील पर महत्वपूर्ण सुनवाई है। संयोग से 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की पहली बरसी भी है, जिनकी हत्या 2025 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान इसी तारीख पर हुई थी। बिहार विधानसभा के चुनाव में अनंत सिंह जेडीयू के कैंडिडेट थे और जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट पीयूष

(शेष पृष्ठ ९ पर)

यहां भी पढ़ें
website :-
www.ajhindidaily.com
For e-Paper
www.ajhindidaily.com
नि:शुल्क ई-पेपर सब्सक्राइव करें

1268 अस्पतालों में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों का होगा मुफ्त इलाज

पीएम राहत योजना के तहत सात दिनों तक 1.50 लाख तक कैशलेस उपचार, अब तक 250 पीड़ितों को मिला लाभ : परिवहन सचिव

(आज समाचार सेवा)

पटना। बिहार में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य के 1268 सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों को 1.50 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। दुर्घटना के बाद सात दिनों तक इस सुविधा का लाभ लिया जा सकेगा। अब तक योजना के तहत करीब 250 सड़क दुर्घटना पीड़ितों का उपचार कराया जा चुका है। योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग ने जागरूकता अभियान तेज करने की तैयारी की है। परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार ने सभी जिलों के



जिलाधिकारियों, जिला परिवहन पदाधिकारियों और संबंधित विभागों को योजना के व्यापक प्रचार प्रसार का निर्देश दिया है। परिवहन सचिव ने योजना की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित करने को कहा है। इनमें अस्पताल प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और अन्य संबंधित हितधारकों को योजना के प्रावधानों, पात्रता और उपचार की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सभी जिलों के सदर अस्पतालों और आयुष्मान भारत से संबद्ध अस्पतालों में होर्डिंग और फ्लैक्स लगाए जाएंगे। इनके माध्यम से कैशलेस उपचार की सीमा और योजना से जुड़ी जरूरी जानकारियां प्रदर्शित की जाएंगी ताकि दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिजनों को समय

(शेष पृष्ठ ९ पर)

पति की हत्या के जुर्म में उम्रकैद

नवादा (आससे)। व्यवहार न्यायालय,नवादा में माननीय ए.डी.जे.-9 के न्यायालय में वरिष्ठ अपर लोक अभियोजक राम प्रताप लाल ने सरकार की ओर से रोह थाना कण्ड संख्या 81/2024,सेशन ट्रायल नंबर 472/2024 में अभियुक्त सरिता देवी को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की।तदोपरांत माननीय न्यायालय ने

(शेष पृष्ठ ९ पर)

बिना किसी सबूत के काटी 6 साल जेल

नयी दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने अपहरण और हत्या के एक मामले में जांच में गंभीर लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए छह साल विचाराधीन कैदी की तरह जेल काटने वाले बाद में बरी हो गए व्यक्ति को छह लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है। प्रदेश सरकार को एक महीने के भीतर

(शेष पृष्ठ ९ पर)

सूबे में शिक्षा की 1,627 नयी परियोजनाएं पूरी

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। राज्य के सरकारी स्कूलों में आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है। शैक्षणिक सुविधाएं बढ़ीं हैं। इसके तहत क्लासरूम बढ़े हैं। स्कूलों को कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी रूम, साइंस लैब और आर्ट एवं क्राफ्ट रूम मिले हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत पांच अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच जारी प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक राज्य भर में 1,627 नयी परियोजनाएं पूरी हुईं हैं। इससे स्कूलों में आधारभूत ढांचे और शैक्षणिक सुविधाओं के विकास कार्यों ने उल्लेखनीय गति पकड़ी है। केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा अभियान एवं पीएमश्री के तहत राज्य भर के सरकारी स्कूलों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विभागीय अधिकारियों को लंबित कार्यों के शीघ्र निष्पादन का आदेश जारी किया था। इसके मद्देनजर पांच अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच पूरी हुई 1,627 नयी परियोजनाओं के साथ ही पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की संख्या 4,971 से बढ़कर अब 6,598 तक पहुंच गयी है। राज्य में कुल स्वीकृत योजनाओं में से प्रगतिरत कार्यों की संख्या 5,116 से बढ़कर 6,801 हो गयी है। इसके साथ ही अन्य रुकी हुई ।परियोजनाओं पर भी तेजी से कार्य आरंभ किया जा रहा है। परियोजनाओं कर कार्यान्वयन में हुई उल्लेखनीय प्रगति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2024-25 तक की स्पिलओवर सूची के अंतर्गत सर्वाधिक 733 नये अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण पूरा किया गया, जिससे पूर्ण कमरों की संख्या 913 से बढ़कर 1,646 हो गयी है। वर्ष 2025-26 की उच्च माध्यमिक योजनाओं में 400 नये कक्षों पर कार्य शुरू हुआ है, जबकि प्रारंभिक योजनाओं के तहत 424 नये कमरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। छात्र-छात्राओं की स्वच्छता सुविधा पर विशेष जोर देते हुए पुरानी योजनाओं के तहत 165 नये बालिका शौचालय और 122 बालक शौचालय पूर्ण किये गये। पीएम श्री योजना के तहत 114 निष्क्रिय बालिका शौचालयों और 102 बालक शौचालयों की मरम्मत का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया

- स्कूलों में बढ़े क्लासरूम, शैक्षणिक सुविधाएं बढ़ीं
- मिले कंम्प्यूटर, लाइब्रेरी एवं आर्ट एंड क्राफ्ट रूम

(शेष पृष्ठ ९ पर)

बिहार के जेल वार्डरों को हर साल एक माह का अतिरिक्त वेतन मिलेगा

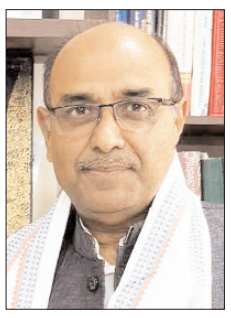
पटना(आससे)। पटना हाईकोर्ट से बिहार के जेलों में तैनात हजारों वार्डरों के लिए एक बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने बिहार जेल मेन्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका को मंजूर करते हुए 2015 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन देने का आदेश दिया है। जस्टिस डॉ. अंशुमान की एकलपीठ ने बिहार जेल मेन्स एसोसिएशन की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने साफ कहा कि जेल वार्डरों को एक माह के अतिरिक्त वेतन के बराबर मानदेय 28 जनवरी, 2019 या 3 अक्टूबर, 2024 से नहीं, बल्कि 27 अगस्त, 2015 से ही देना होगा। राज्य सरकार ने 27 अगस्त, 2015 को एक संकल्प जारी कर बिहार पुलिस, फायर सर्विस, जीआरपी, बीएमपी और



(शेष पृष्ठ ९ पर)

बिहार में नये अधिवक्ताओं को मिलेंगे पांच हजार स्टाइपेंड

पटना (आससे)। बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय ने नये अधिवक्ताओं के स्टाइपेंट को लेकर अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नये अधिवक्ताओं को प्रति महीने पांच हजार रुपये लगातार तीन वर्षों तक स्टाइपेंड देने के लिए 30 नवम्बर 2026 तक आवेदन करना होगा।



महाधिवक्ता ने आगे बताया कि 1 जनवरी, 2024 के बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत हुए सभी नये अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड योजना के शर्तों को पूरा करने पर प्रति महीने पांच हजार रुपये बतौर स्टाइपेंड दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई योजना हैं, इसिलिए शुरुआती दौर में छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती हैं. लेकिन सरकार नये वकीलों को स्टाइपेंड योजना का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. एसडी संजय ने बताया कि सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की हैं।

महाधिवक्ता के मुताबिक 1 जनवरी, 2024 से बिहार स्टेट बार काउंसिल में नामांकित नए अधिवक्ताओं को 3 साल तक पांच हजार रुपया मासिक स्टाइपेंड के साथ-साथ अधिवक्ता

(शेष पृष्ठ ९ पर)

5 शहरों में 8 एमएलसी सीटों की मतगणना आज

पटना के बांकीपुर राजकीय कन्या सीनियर सेकेंड्री स्कूल में 8 बजे सुबह काउंटिंग होगी शुरू

पटना(आससे)। बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के चुनाव को लेकर 23 अक्टूबर को हुए मतदान के बाद मंगलवार को मतगणना होगी और चुनाव परिणाम जारी होगा। चार स्नातक एवं चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना के लिए सभी संबंधित प्रमंडलीय मुख्यालयों में



मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सोमवार को चुनाव आयोग ने बताया कि मतगणना तय समय आठ बजे सुबह से शुरू होगी। इसके लिए मतगणना प्रेक्षकों और मतगणना कर्मियों की तैनाती की जा चुकी है। चुनाव आयोग के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसारो बैलेट पेपर से हुए इन चुनावों में पहले कुल मान्य वोटों का कोटा तय किया जाएगा।

(शेष पृष्ठ ९ पर)



गुवाहाटी के होटल में गोलीबारी, पांच की मौत

गुवाहाटी (एजेंसी)। असम के गुवाहाटी में सोमवार रात गोलीबारी से हड़कंप मच गया। शहर के लाचित नगर इलाके में स्थित होटल बिलास इन में रात करीब 9 बजे हुई फायरिंग में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त ने मौतों की पुष्टि की है। घटना के बाद इलाके में पुलिस और एंबुलेंस पहुंचीं। पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी है।

सूत्रों के हवाले से बताया कि वारदात के बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त ने बताया कि 32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने वारदात में शामिल हथियार बरामद कर लिया है। गोलीबारी की घटना बोरा सर्विस के पास हुई। इसके बाद पुलिस और एंबुलेंस को मौके पर भेजा गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, फायरिंग में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। होटल बिलास इन का एक कर्मचारी भी गोली लगने से घायल हुआ है। घायलों की कुल संख्या और उनकी हालत के बारे में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद लोगों से

(शेष पृष्ठ ९ पर)

एसआईआर के फैसले सर्वसम्मति से लिये गये

नयी दिल्ली (एजेंसी)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज और कार्यशैली को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना काउंटर-एफिडेविट यानी जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष

है। चुनाव आयोग ने अदालत में स्पष्ट किया कि यह पूरी याचिका महज एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर दाखिल की गई है और इसमें कोई कानूनी आधार नहीं है।

आयोग ने बताया कि यह हलफनामा तीनों चुनाव आयुक्तों- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी की सर्वसम्मति से मंजूर और दाखिल



किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में चुनाव आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली और फैसलों को लेकर कई अहम स्पष्टीकरण दिए हैं।

आयोग ने कहा कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में जारी किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण के तीनों आदेश तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति से पारित हुए थे।

आयोग ने साफ किया कि किसी फाइल के निस्तारण के दौरान ष्टश्वष्ट या चुनाव आयुक्तों की ओर से लिखे गए नोट, सुझाव या उठाए गए सवाल आयोग के अंतिम निर्णय नहीं माने जा सकते। फाइलें पहले एक चुनाव आयुक्त, फिर दूसरे और आखिर में मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने जाती हैं। आपात स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी लेकर बाद में उसे फाइल पर दर्ज किया जाता है। आयोग ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी अधिकारी ने सौंपे गए अधिकारों से बाहर जाकर कोई आदेश जारी किया है, तो उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। वोटर

(शेष पृष्ठ ९ पर)

खगड़िया के एसपी पर महिला आयोग में मामला दर्ज

पटना (आससे)। बिहार के खगड़िया जिले के एसपी भानु प्रताप सिंह का पत्नी से विवाद का मामला बिहार राज्य महिला आयोग तक पहुंच



गया है। सोमवार को आईपीएस अफसर के विरुद्ध उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। यह मामला उनकी पत्नी पूजा सिंह ने दर्ज करवाया। दर्ज मामले में आवेदिका ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप आवेदिका के अधिकार और सुरक्षा से जुड़े हैं। इसको देखते हुए आयोग की अध्यक्ष ने आवेदिका द्वारा दर्ज शिकायत से संबंधित वरीय अधिकारियों को पत्र लिखकर तीन दिनों के अंदर सुरक्षा और अन्य इंतजाम

(शेष पृष्ठ ९ पर)